Anjend
सहायक कलेक्टर बांपिणी

07.02.25

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत अर्जेंट सुनवाई प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रकरण में आगामी तारीख 12/02/25 को नियत है लेकिन वादी व प्रतिवादी आज ही न्यायालय के सामने उपस्थित हो कर प्रकरण का निस्तारण चाहते है। उभय पक्ष अधिवक्ताओं के निवेदन पर गौर करने के पश्चात प्रार्थना पत्र बाबत अर्जेंट हियरिंग को स्वीकार किया जा कर मूल पत्रावली को रिकॉर्ड से तलब कर आज ही प्रकरण को सुना गया।।

दौरान सुनवाई अधिवक्ता वादी ने न्यायालय को सूचित किया कि पक्षकारों के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा वादीगण वाद को और आगे नहीं चलाना चाहते एवं वाद को आज ही जरिये राजीनामा विड्रोल करना चाहते है। वादीगण की तरफ से वादी संख्या 1, 2, व 3 उपस्थित थे जिनकी पहचान अधिवक्ता वादी द्वारा करवायी गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 भी उपस्थित हुआ जिसकी पहचान अधिवक्ता

Anjend.
सहायक कलेक्टर बांपिणी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी द्वारा प्रमाणित की गई। वादी एवं प्रतिवादीगणों ने मामले का राजीनामा से निपटारा करने तथा वाद को विड्रोल करने की अपनी मांग को न्यायालय के समक्ष पुनः दोहराया तथा अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने भी इस मांग का समर्थन किया। आपसी सहमति का शपथ पत्र तथा भविष्य में इसी संपत्ति पर पुनः कोई नया वाद ना लाने के लिये न्यायालय के समक्ष अपनी सहमति प्रकट करने का शपथ पत्र पेश किया। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा विड्रोल करने का स्वीकार किया जाता है क्योंकि जब वादी पक्ष स्वयं न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो कर आपस में विवाद ना होने का तथ्य स्वीकार करता है तो वाद को खारिज किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली खारिज हो कर नम्बर से कम की जा कर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलैक्टर [illegible]	रा॰ 3